दिनांक 21 अगस्त, 2019 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थितिः–संलग्न।

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति के कारण की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने एवं बैठक में अनुपस्थित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालन्दा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

2. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने पर सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
3. आगामी छः माह में सेवानिवृत हो रहे पदाधिकारियों/कर्मियों की समीक्षा कर नियमानुसार सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय स्थापना

4. निदेशालय द्वारा विभिन्न संवर्गों के कर्मियों का ACP/MACP कुछ दिन पूर्व दिया गया है। सेवानिवृत कर्मी जिन्हें ACP/MACP का लाभ नहीं मिला है उन सभी का विशेष गोपनीय चारित्री उपलब्ध कराने एवं सेवा सत्यापन यथाशीघ्र कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

5. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह जून 2019 में स्थानान्तरित कर्मी अभी तक अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान नहीं किये हैं। सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०) एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके कार्यालय में योगदान नहीं करने वाले नव स्थानान्तरित कर्मी की सूचना निदेशालय को लभ्य करायें।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

6. <u>बजट</u> :–

(i) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में CFMS प्रणाली लागू होने के कारण प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को वेतनादि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कार्यालय मे पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे। यात्रा भत्ता मद में क्षेत्रीय कार्यालयों को राशि का आवंटन उनके द्वारा यात्रा भत्ता विपत्र की छायाप्रति के साथ प्रेषित अधियाचना के पश्चात् किया जायेगा।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) (क) गत बैठकों में दिये गये स्पष्ट निदेश के बावजूद भी अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति बहुत जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

(ख) रोकड़पंजी एवं कार्यालय के बैंक खाता में संधारित राशि से संबंधित BRS प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि कई कार्यालयों के बैंक खातों में रोकडपंजी के अन्तःशेष से काफी अधिक राशि संचित है, जिसकी जाँच कर दिनांक– 30.08.2019 तक व्यय करने का निदेश दिया गया।

(ग) BRS प्रतिवेदन के अनुसार जिला सांख्यिकी कार्यालय सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियॉ एवं पश्चिम चम्पारण के रोकड़पंजी के अन्तःशेष से कम राशि बैंक खातों में संचित है, जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यथाशीघ्र निदेशालय/मुख्यालय में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक की अध्यक्षता में लेखापाल/रोकड़पाल की जॉच दल भेज कर वहॉं के रोकडपंजी की जॉच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुपालन– निदेशालय (लेखा शाखा)

के व्यय अथवा संबंधित जमा शीर्ष में जमा करने हेतु विस्तृत निदेश देते हुए विहित प्रपत्र ; दिनांक–15.07.2019 की मासिक समीक्षात्मक बैठक में दिनांक–31.07.2019 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक अधिकांश जिलों के द्वारा उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी को निदेश दिया गया कि उक्त पत्र का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

(iv) वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह अप्रील 2018 से मार्च 2019 तक के लेखा के सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्ति की समीक्षा की गई। निदेशालय के पत्रांक–765 दिनांक–08.04.2019, पत्रांक–929 दिनांक–07.05.2019, पत्रांक–1013 दिनांक–23.05.2019, पत्रांक–1130 दिनांक–14.06.2019 एवं पत्रांक–1305 दिनांक–10.07.2019 तथा मासिक समीक्षात्मक बैठक में लगातार समीक्षा तथा निदेश के बावजूद प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०) भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा एवं सारण तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी नालन्दा, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर एवं प० चम्पारण द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने पर क्षोभ व्यक्त किया गया। समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लेखा का सत्यापन नहीं कराया गया उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुपालन– निदेशालय (बजट शाखा)

(v) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जब तक CFMS प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो जाता है तब तक आवंटन, व्यय पंजी एवं विपत्र पंजी आदि का नियमित संधारण करेंगे तथा मैनुअली लेखा की जाँच एवं व्यय–विवरणी प्रेषित करते रहेंगे। साथ ही मैनुअली एवं CFMS के आंकड़ों में कोई विसंगति हो तो इसकी सूचना CFMS Help Desk को भेजकर सही करवा लेंगे।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(vi) पूर्व में समर्पित डी०सी० बिल से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति का जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पटना, बक्सर, किशनगंज, पूर्वी चम्पारण एवं मधेपुरा द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी मामले को गम्भीरता से लेते हुए निदेश दिया गया कि इस माह के अन्त तक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

अनुपालन– संबंधित जिला सां०पदा०

7. <u>वर्षापातः–</u>

(i) वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अपलोड करने एवं 80 mm से ज्यादा वर्षा होने की स्थिति में पुनः सत्यापन के उपरान्त ही अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(ii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने जिला में सभी अधिष्ठापित वर्षामापक यंत्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर Web-Portal पर अपलोड करें।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा

(iii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नये वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन हेतु राशि की आवश्यकता संबंधी मांग पत्र अविलम्ब उपलब्ध करायें।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iv) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला के सभी प्रखण्डों में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा जिला के सभी पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) के अधिष्ठापन हेतु मानक के अनुरूप स्थलों का भौतिक सत्यापन करते हुए स्थलों का फोटो सहित ब्योरा निदेशालय को लभ्य करायें।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

8. रान्यासः–

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें सत्र के प्रथम एवं द्वितीय उपसत्र में माह जुलाई 2019 तक के कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह–जुलाई 2019 तक संपादित सर्वेक्षण की भरी हुई अनुसूचियाँ निम्न जिलों से अप्राप्तः–

क्र.स.	निरीक्षणालय	लंबित प्रतिदर्श	क्र.सं.	निरीक्षणालय	लंबित प्रतिदर्श
1	पटना	02	3	पूर्णियाँ	02
2	भागलपुर	02	4	नालंदा	02

संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने निरीक्षणालय में लंबित अनुसूचियाँ उक्त विवरणी के अनुसार तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करायें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०/अन्वेषक

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्धारित संख्या मे निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय

9. <u>लघु सिंचाई गणनाः–</u>

(i) पंचम एवं छठी लघु सिचांई गणना के लिए निकासी की गई राशि का विवरण अलग–अलग (व्यय एवं बैंक खाते में संचित) प्रेषित करते हुए पंचम लघु सिंचाई गणना की बैक खाता में रखी राशि को वितरित करने अथवा चलान के माध्यम से जमा करने संबंधी प्रतिवेदन जिला पटना, अररिया, बांका, मुजफ्फरपुर, बक्सर, औरंगाबाद, समस्तीपुर एवं भोजपुर को एक सप्ताह के अन्दर निराकरण कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

(ii) छठी लघु सिचांई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में शुद्ध आंकडे प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक निदेशालय में अचूक रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय का मासिक प्रगति प्रतिवेदन माह जुलाई 2019 का अपूर्ण प्राप्त हुआ है। जिला बांका द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन लगातार नहीं दिये जाने एव जल निकाय गणना को मोबाईल ऐप पर शून्य लोड करने के कारण स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। बेगुसराय, अरवल, गया, शेखपुरा, रोहतास, बांका, मधेपुरा एवं मधुबनी जिला को लंबित मासिक प्रगति प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

(iii) छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 एवं जल निकाय गणना में छुटे हुये ग्राम/वार्ड तथा Mismatch/Delete Village/Ward का नाम की सूची अथवा यदि सही है तो इसकी सूचना निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में एवं भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित सूची यथावत रहने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी एक सप्ताह के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

(iv) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि छठी लघु सिंचाई गणना का सर्वेक्षण कार्य अविलंब समाप्त किया जाय। जल निकाय गणना का App पर अपलोड की प्रगति काफी धीमी है इसमें प्रगति लाया जाय।

अनुपालनः– प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

10. <u>साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी</u> :–

(i) सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का लेखा विवरणी (आय एवं व्यय) विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है। इस सदर्भ मे निदेशालय के अनेकों स्मार एवं राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में आपके आश्वासन के बावजूद प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– सभी उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

... आवास सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदनों एवं प्रपत्रों की जानकारी दी गयी। आवास एवं भवन निर्माण से सबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का पटना, भोजपुर, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, सारण एवं दरभंगा से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी लंबित वर्षो का त्रैमासिक प्रतिवेदन भारत सरकार को ऑन–लाइन भेजते हुए इसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

11. कृषि:– अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०

(i) फसल सांख्यिकी सुधार योजना:– **रब्बी 1.0 एवं 1.1** भागलपुर एवं मधेपुरा, **गर्मा 1.0 एवं 1.1** भागलपुर, बांका एवं मधेपुरा जिला से अप्राप्त है। संबंधित जिला को लंबित प्रतिवेदम तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(ii) (क)गर्मा सामान्य जिंसवार– पूर्वी चम्पारण
(ख)गर्मा प्रक्षेत्र मूल्य – पूर्वी चम्पारण
(ग) अगहनी धान 2.0 – बांका,
(घ) भदई ईख 2.0 – बांका,
(ङ) रब्बी गेहूँ 2.0 – भागलपुर एवं बांका,
(च) रब्बी चना 2.0 – बांका,
(छ) राई–सरसों 2.0 – बांका एवं
(ज) अरहर 2.0 – बांका से अप्राप्त है।

वांछित प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(iii) **भदई द्रुत जिन्सवार:–** कृषि वर्ष 2019–20 का भदई द्रुत जिन्सवार निम्न जिलों यथा– पटना, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, जमुई, बांका, सहरसा, मधेपुरा एवं कटिहार से अब तक लंबित है। लंबित प्रतिवेदन दिनांक–30.08.2019 तक निदेशालय भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(iv) **फल-सब्जी:–** फल से संबंधित लंबित प्रतिवेदन यथा– मुजफ्फरपुर, पू० चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया एवं कटिहार जिला से अप्राप्त है। जिसे एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

12. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक :–

राज्य श्रृंखला के अन्तर्गत चयनित औद्योगिक ईकाईयों से उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन आधार वर्ष 2011–12 के लिए प्रत्येक माह प्राप्त होना है। परंतु कुछ जिलों से आधार वर्ष 2003–04 के लिए चयनित ईकाईयों का प्रतिवेदन प्राप्त हो रही है। जिसकी उपयोगिता निदेशालय के लिए शून्य है। अतएव सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि आधार वर्ष 2011–12 के लिए चयनित सूची के अनुसार वर्ष 2011–12 के प्रत्येक माह एवं अप्रैल 2016 से अद्यतन मासिक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

13. औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक :–

राज्य श्रृंखला के अन्तर्गत चयनित तीन केन्द्र पटना, डेहरी ऑन सोन (लंबित माह जुलाई 2019) एवं मुजफ्फरपुर के संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश है कि औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह निदेशालय के ई–मेल पर भेजते हुए इसकी हॉर्ड कॉपी निदेशालय को लभ्य करावें। संबंधित प्रतिवेदन की सूचना इस ईमेल (des.si.price.stat@gmail.com) पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

14. कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन :–

कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन मूल्य संग्रह दिवस शुक्रवार के अगले कार्य दिवस को निदेशालय के ईमेल (des.si.price.stat@gmail.com) पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हॉर्ड कॉपी निदेशालय को लभ्य करायें।

अनुपालनः सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

15. नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन :–

नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन नालंदा, अरवल, जहानाबाद, मुंगेर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढी, मधुबनी, भागलपुर, मधेपुरा, कटिहार, गया, लखीसराय, बांका एवं दरभंगा से अप्राप्त है, जिसे विहित प्रपत्र मे भरकर निदेशालय के ईमेल (des.si.price.stat@gmail.com) पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हॉर्ड कॉपी निदेशालय को लभ्य करायें।

अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०

16. बिजनेस रजिस्टर से संबंधित प्रतिवेदन :–

निबंधित बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिस्ट फ्रेम के आधार पर विहित प्रपत्र में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर बिजनेस रजिस्टर तैयार करने में होने वाले व्यय का आकलन कर कार्य योजना नालंदा, प०चम्पारण एवं सहरसा से अप्राप्त है। संबंधित जिला को निदेश दिया गया कि कार्य योजना एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०/राज्य आय प्रशाखा, मुख्यालय।

17. जीवनांकः

(i) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का मासिक प्रतिवेदनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः सभी जिला सां०पदा०

(ii) प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iii) जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धिः– वर्ष 2019 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व माह जुलाई 2019 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 46.17 प्रतिशत प्राप्त किया गया, जबकि माह जुलाई 2019 तक 58.30 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। शेखपुरा (59.84), पूर्णिया (57.93), किशनगंज (57.05) एवं सीतामढ़ी (56.87) प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शेष जिलों को रजिस्ट्रीकरण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि माह अगस्त 2019 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 66.70 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समुचित प्रयास करेंगें।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(iv) निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में **"विशेष निरीक्षण अभियान"** संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०

(v) MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदनः– वर्ष 2019 का प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन प० चम्पारण से अप्राप्त है। वर्ष 2019 का द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन नालन्दा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पू०चम्पारण, प० चम्पारण एवं जमुई से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(vi) मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ पूर्व माह में किये गये भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी

सूचना बांका, अरवल, मधेपुरा, प० चम्पारण, बक्सर, नालन्दा एवं समस्तीपुर जिला से अप्राप्त है। लंबित जिलों को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०

(viii) जिला में पदस्थापित सभी साख्यिकी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची (नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं० सहित) अब तक 10 जिलों यथा— बक्सर, रोहतास, अरवल, मुजफ्फरपुर, पू० चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, किशनगंज एवं कटिहार से अप्राप्त है। लंबित जिलों को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०

(ix) जिला स्तर पर जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य में आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निष्पादन हेतु सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपना मोबाईल नं० आमजन को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

(x) प्रेस कान्फ्रेन्स के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के महत्त्व से आमजन को अवगत कराने का निदेश दिया गया, ताकि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के स्तर में वृद्धि हो सके।

अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

ज्ञापांकः—DES(योजना शाखा) 01/2019/1161 /पटना, दिनांकः—06.09.19

प्रतिलिपिः— ~~1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।~~

2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)-1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

निदेशक

ज्ञापांकः—DES(योजना शाखा) 01/2019/1161 /पटना, दिनांक—06.09.19

प्रतिलिपिः— श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई—मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक